

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

आ0संख्या-9/विविध-14-09/2013, सा0प्र0.3339/पटना-15, दिनांक. 20-3-17

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या-332, दिनांक-10.08.2015, द्वारा निम्नांकित कर्मियों को वरीयता में कनीय कर्मियों को वरीय से अधिक वेतन होने के फलस्वरूप ह्रासमान व्यक्तिक वेतन स्वीकृत करते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया था :-

क्र	नाम/पदनाम	नि0स0 के पद पर योगदान की तिथि, मूल वेतन एवं वेतनमान	दिनांक 02.09.1987 को प्राप्त वेतन (रूपये में)	ह्रासमान वैयक्तिक वेतन की तिथि एवं राशि (रूपये में)
1.	श्री उमेश चन्द्र प्रसाद, निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग	21.07.1988 अप0 1500 1500-2750	21.09.1991-1650	21.09.1991 से-400
2.	श्री अर्जुन प्रसाद नं0-1, आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	23.07.1988 1500 1500-2750	21.09.1991-1650	21.09.1991 से-400

बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रावधान संख्या- 24 'ए' के तहत मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की दिनांक-09.02.2017 को अपराह्न 4:00 बजे सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उपर्युक्त कर्मियों को अबतक दिये गये वेतन संरक्षण का क्रियेय लाभ की वसूली नहीं करने के शर्त के साथ, विभागीय आदेश संख्या-332, दिनांक-10.08.2015 को वापस लिया जाता है।

ह0/-

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-9/विविध-14-09/2013, सा0प्र0.3339/पटना-15, दिनांक. 20-3-17

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी आयोग/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार/क्ति विभाग (प्रशाखा-3), बिहार, पटना/क्ति (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।